

विचार बिन्दु

सज्जनों की रीति यह है कि कोई अगर उनसे कुछ मांगे तो वे मुख से कुछ न कहकर, काम पूरा करके ही उत्तर देते हैं। —कालिदास

देश एवं प्रदेशों में पेंशन बचाओ आंदोलनों की अपरिहार्यता

रा

जनकीय एवं अन्य पेंशन धारों को पेंशन मिलना आत्म आवश्यक है, यह उनके सेवानित पश्चात एक सम्मानवृक्ष जीवन निवार्ह का सबसे विवरणीय साधन होता है। रिटायरमेंट के पश्चात कर्मी को पता नहीं कितने दिन जीवित रहते हैं और किनने दिन उसकी पत्ती को?

ऐसी असाधारण परिस्थिति में पूर्व की सरकारों ने अपने कर्मी को पेंशन देने का प्रावधान किया, यह सिलसील विदेश हुक्मत में तो था ही, सभवतः उससे पहले मुगल कल में भी प्रचलित हो? पेंशनकर्मी को प्रत्याप्ति के बाद प्रत्याग्राहण आदि) के लिए यह मौजूद ही जाती है।

30 से 35 वर्ष के कार्य काल का अंकलन संख्यक समापदों से करना दुश्ख है अतः सरकारों ने पेंशन निर्धारण के लिए काफी विचार और मंथन करके कुछ नियम निर्धारित किये जिनमें समय-समय पर स्थिति के अनुसार सुधारक बदलाव भी किया जाता रहा। मोटे तौर पर वर्तमान में कर्मी को संतोषजनक सेवा के उपरान्त आश्विर्य बोलता का आशा अंश (50 प्रतिशत) पेंशन देने होते हैं सेवा काल में विशिष्ट मर्की होने पर पेंशन की अनुपातिक विधि से काम करना निर्धारित होती है। इसके अपने समान सामान विधि द्वारा देता है और जुड़ा जाता है, इस प्रकार कर्मी को अपने शेष जीवन निर्वाह के लिए एक संतोषजनन का राशि प्रतिमात्र हुलबूझ होती होती है। कर्मी की मृत्यु होने पर उसकी पत्ती को शेष जीवन में परिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान किया हुआ है, जो मूल पेंशन का लगानी 30 प्रतिशत होता है। इस प्रकार सामाजिक रिकार्डरिटी की दृष्टि से यह अनुकूल ही है।

एकल परिवारों के चलते यह वे व्यवहार न हो सकते हैं किसके आगे घैरू कैलाएं? उन्हर लेकर, घर का सामान बेचते रहते हैं तथा इदूर सफाई और बैठते जाते हैं, इस प्रकार कर्मी को अपने शेष धन घर के लिए एक संतोषजनन का राशि प्रतिमात्र हुलबूझ होती होती है। कर्मी की मृत्यु होने पर उसकी पत्ती को शेष जीवन में परिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान किया हुआ है, जो मूल पेंशन का लगानी 30 प्रतिशत होता है। इस प्रकार सामाजिक रिकार्डरिटी की दृष्टि से यह अनुकूल ही है।

पेंशन की विधि द्वारा देनी गयी किसके आगे घैरू कैलाएं? उन्हर लेकर, काटना विदेश वाला है उसकी विधि द्वारा देनी गयी किसके आगे घैरू कैलाएं? उन्हें लेकर, घर का सामान बेचते रहते हैं तथा इदूर सफाई और बैठते जाते हैं, इस प्रकार कर्मी को अपने शेष धन घर के लिए एक संतोषजनन का राशि प्रतिमात्र हुलबूझ होती होती है। कर्मी की मृत्यु होने पर उसकी पत्ती को शेष जीवन में परिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान किया हुआ है, जो मूल पेंशन का लगानी 30 प्रतिशत होता है। इस प्रकार सामाजिक रिकार्डरिटी की दृष्टि से यह अनुकूल ही है।

यही पेंशन के चरना कार के सोच को दाद देनी पड़ी कि उसने सभी पेंशन को मटियामेट करने की ऐसी योजना बनाई जिसका निवार्हन नहीं कर सकता।

धारकों की जिंदगी को मटियामेट करने की ऐसी योजना बनाई जिसका निवार्हन नहीं कर सकता।

लोग उस समय आंकलन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार में ऐसे अनेक वित्त मंत्री हुए जिन्होंने बजट से लेकर अन्य योजना ही लागू की जो बाद में

मंत्री हुए जिन्होंने बजट से लेकर अन्य योजनाएं लागू की जो बाद में

निवेशकर्ताओं को ले लूंगी।

सभी नोट बापिस आ गए। अब जो जाली नोट बैंक में कैसे आते?

खेर, सरकार में ऐसे नाटकीय कार्य होते रहे हैं और जनता मूर्छ बनकर उसी पार्टी की

सरकार को बुझः चुनती रही है। तो बात पेंशन की हो रही थी लिहाजा पुरानी पेंशन ही अधीक्षित करने की अंशदान बीच की जो बात हो जाती है।

इसमें मंगलंगांई भाई आदि जुड़ते जाय

तो कर्मी का जीवन संतोष से कट जाता है।

उसके अपने समान करने पर नया पेंशन स्कीम पिछले बजट में पास करा कर फिर से लागू कर दी।

इसमें अधीक्षित कर यह स्पष्ट नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन लागू होगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का

भी वो तोड़ किनकाल इसे हल कर देंगे?

राज्य सरकार कई प्रकार की पेंशन लागू लोगों को देती है परन्तु अभी उनमें पेंशन मिलना विद्यमान है जैसे विविधालों के कर्मियों को नियमित पेंशन न देना... इसमें कुछ विविधालों छाँतों की अधिक संख्या के कारण कर्मियों को पेंशन देने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन कुछ ही वर्षों में वे भी पेंशन देने में सक्षम नहीं होंगे। प्रदेश के सभी कृषि विविधालों पेंशन की अनियमिती और अनिश्चितता से पेंशन हैं। लगभग 1.2 वर्ष से कमी न्यायलय की शरण में जाकर कुछ राशि पाए होते हैं, अभी तक 13 माह की पेंशन की दिक्कत याद नहीं है कि अब लिहाजा जाएगा।

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यदि सरकार इन्होंने पेंशन देगी तो अन्य लोग भी डिमांड करेंगे।

ये कास कठन है? दूसरे को? निवार्हन रूप से वे पाकस्तानी की उपरान्त रूप से आधारित होता है।

प्रदेश के अन्य प्रभावी विविधालों की दिक्कत नहीं है। अनुसार और जुड़ते जाय

तो कर्मी का जीवन संतोष से कट जाता है।

उसके अपने समान करने पर नया पेंशन स्कीम पिछले बजट में पास करा कर फिर से लागू कर दी।

इसमें अधीक्षित कर यह स्पष्ट नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन लागू होगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का

भी वो तोड़ किनकाल इसे हल कर देंगे?

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यदि सरकार इन्होंने पेंशन देगी तो अन्य लोग भी डिमांड करेंगे।

ये कास कठन है? दूसरे को? निवार्हन रूप से वे पाकस्तानी की उपरान्त रूप से आधारित होता है।

प्रदेश के सभी कृषि विविधालों पेंशन की अनियमिती और अनिश्चितता से पेंशन हैं। लगभग 1.2 वर्ष से कमी न्यायलय की शरण में जाकर कुछ राशि पाए होते हैं, अभी तक 13 माह की पेंशन की दिक्कत नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन देगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का

भी वो तोड़ किनकाल इसे हल कर देंगे?

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यदि सरकार इन्होंने पेंशन देगी तो अन्य लोग भी डिमांड करेंगे।

ये कास कठन है? दूसरे को? निवार्हन रूप से वे पाकस्तानी की उपरान्त रूप से आधारित होता है।

प्रदेश के सभी कृषि विविधालों पेंशन की अनियमिती और अनिश्चितता से पेंशन हैं। लगभग 1.2 वर्ष से कमी न्यायलय की शरण में जाकर कुछ राशि पाए होते हैं, अभी तक 13 माह की पेंशन की दिक्कत नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन देगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का

भी वो तोड़ किनकाल इसे हल कर देंगे?

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यदि सरकार इन्होंने पेंशन देगी तो अन्य लोग भी डिमांड करेंगे।

ये कास कठन है? दूसरे को? निवार्हन रूप से वे पाकस्तानी की उपरान्त रूप से आधारित होता है।

प्रदेश के सभी कृषि विविधालों पेंशन की अनियमिती और अनिश्चितता से पेंशन हैं। लगभग 1.2 वर्ष से कमी न्यायलय की शरण में जाकर कुछ राशि पाए होते हैं, अभी तक 13 माह की पेंशन की दिक्कत नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन देगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का

भी वो तोड़ किनकाल इसे हल कर देंगे?

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यदि सरकार इन्होंने पेंशन देगी तो अन्य लोग भी डिमांड करेंगे।

ये कास कठन है? दूसरे को? निवार्हन रूप से वे पाकस्तानी की उपरान्त रूप से आधारित होता है।

प्रदेश के सभी कृषि विविधालों पेंशन की अनियमिती और अनिश्चितता से पेंशन हैं। लगभग 1.2 वर्ष से कमी न्यायलय की शरण में जाकर कुछ राशि पाए होते हैं, अभी तक 13 माह की पेंशन की दिक्कत नहीं है कि 2004 और इस वर्ष योगाना की तिथि की अवधि में पुरानी

पेंशन देगी अथवा नहीं? कुछ भी ही मुख्यमंत्री ने जो सदा सहात दिखाई है इस अवधि का